बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–:अधिसूचना:–

संचिका संख्या–06/अ0–03–23/2022 पटना, दिनांकः–

श्री उदय शंकर मिश्र, राज्य–,कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043/वि0 दिनांक–11.10.2017 की कंडिका–3(G)(i) के आलोक में दिनांक 21.11.2026 से 25.11.2026 तक की अवधि में पत्नी के साथ अण्डमान द्वीप समूह भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) का उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–06/अ0–03–23/2022 3971 पटना, दिनांकः– 13/10/26

प्रतिलिपिः–वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/एच0आर0एम0एस0 (एडमीन), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर, (स्थापना), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री उदय शंकर मिश्र, राज्य–,कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12.10.2026
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।